संदर्भ सं0: 3SSI/R-59/9148 06.04.2011

सेवा में, श्री सत्यजीत ठाकुर, आई0ए0एस0 प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	संदर्भ सं0: 3ID/R-59/9149 श्री वी0एन0 गर्ग आई0ए0एस0 औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विषयः— <u>उद्योग निदेषालय उत्तर प्रदेष के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने से लघु उद्योगों एवं सरकार को होने वाली हानि के कारण इसे निरस्त न करने के संबंध में</u>

महोदय,

आपके पत्र सं0— 352/18-2-2011-4(SP)/2010 दिनांक 31.3.2011 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स के अधीन उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

इस संबंध में आपसे निवेदन है कि इस प्रणाली को समाप्त करने से न केवल लघु उद्योगों की परेशानियां बढ़ेगी अपितु प्रदेश सरकार को भी हानी होगी। इन परेशानियों एवं हानियों का विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत हैः—

1. वर्तमान प्रणाली में लघु उद्यमियों को केवल उद्योग निदेशालय में ही पंजीकृत कराना होता था परंतु इसे समाप्त करने से लघु उद्यमियों को सभी राजकीय विभागों में तथा विभिन्न स्थानों पर टेन्डर जमा करने, सेम्पल स्वीकृत करवाने तथा अन्य प्रक्रियाओं को पूर्ण करना पड़ेगा। सीमित संसाधनों के चलते ऐसा कर पाना लघु उद्यमियों के लिए संभव नहीं होगा।
2. विगत् में यह देखा गया है कि जहां—जहां राजकीय विभाग अपने स्तर पर सामग्री क्रय करने के लिए अधिकृत है वहां पर लघु उद्यमियों को टेन्डर प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए विभिन्न शर्तों जैसे न्यूनतम टर्न ओवर इत्यादि को लगा दिया जाता है। लघु उद्यमियों के लिए इस प्रकार की शर्तों को हटवाना संभव नहीं होता हैं जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ो लघु उद्योग इकाईयां प्रदेश में बंद हो चुकी है अथवा बंदी की कगार पर हैं।
3. सामग्री क्रय की प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करने से सरकारी धन का भी व्यय अधिक होगा क्योंकि प्रत्येक राजकीय विभाग को टेन्डर प्रसारित करने होंगे, प्राप्त टेन्डरों की जांच एवं सामग्री क्रय करने के निर्णय हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन जुटाने होंगे तथा सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञों को तैनात करना होगा इत्यादि। प्रत्येक राजकीय विभागों को सरकार के स्टोर परचेज रूल्स, वित्तीय नियमों तथा शासनादेशों के अनुसार सामग्री क्रय करने हेतु विशेषज्ञों की तैनाती भी करनी होगी।

उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने के लिए आपके पत्र में कहा गया है कि इस प्रणाली से राजकीय विभागों को आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कठिनाई अनुभव की गई है। आई0आई0ए0 का निवेदन है कि वर्तमान प्रणाली में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उद्योग निदेशालय द्वारा दर अनुबंधित सामग्री की स्पेसिफिकेशन दर अनुबंध डोकुमेन्ट में दर्ज होती है और उनके अनुसार सभी राजकीय विभागों को सामग्री क्रय करने से पूर्व क्वालिटी एवं स्पेसिफिकेशन चैक करने की स्वतंत्रता होती है। यदि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लघु उद्यमी सामग्री सप्लाई नहीं करता है तो राजकीय विभाग इस सामग्री को न लेने के लिए एवं उद्योग निदेशालय को शिकायत करने के लिए भी स्वतंत्र है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आई0आई0ए0 का आपसे अनुरोध है कि जनहित, प्रदेश के लघु उद्योगों के हित एवं सरकारी धन के व्यय को रोकने हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को यथावत जारी रखा जाए।

आशा है आप हमारे प्रस्ताव से सहमत होंगे और 31 मार्च 2011 के आदेश को वापिस लेने की कृपा करेंगे।

इस विषय पर वार्ता हेतु आई0आई0ए0 का एक प्रतिनिधिमण्डल आपसे शीघ्र भेंट करना चाहता है अतः सुविधाजनक समय प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

Anil

अनिल गुप्ता
अध्यक्ष

संदर्भ सं0: 3SSI/R-59/9282 25.05.2011

सेवा में, श्री वीरेश कुमार, आई0ए0एस0 प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ A delegation of IIA met PS on 26/05/11	संदर्भ सं0: 4/2Unnao/R-59/9331 10.06.2011 श्री वी0एन0 गर्ग आई0ए0एस0 औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ Also a delegation of IIA met IDC on the same date.

विषयः– <u>उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने से लघु उद्योगों एवं सरकार को होने वाली हानि के कारण इसे निरस्त न करने के संबंध में</u>

महोदय,

प्रमुख सचिव लघु उद्योग उ0प्र0 सरकार के आदेश सं0– 352/18-2-2011-4(SP)/2010 दिनांक 31.3.2011 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स के अधीन उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

इस संबंध में आपसे निवेदन है कि इस प्रणाली को समाप्त करने से न केवल लघु उद्योगों की परेशानियां बढ़ेगी अपितु प्रदेश सरकार को भी हानी होगी। इन परेशानियों एवं हानियों का विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत हैः–

1. वर्तमान प्रणाली में लघु उद्यमियों को केवल उद्योग निदेशालय में ही पंजीकृत कराना होता था परंतु इसे समाप्त करने से लघु उद्यमियों को सभी राजकीय विभागों में तथा विभिन्न स्थानों पर टेन्डर जमा करने, सेम्पल स्वीकृत करवाने तथा अन्य प्रक्रियाओं को पूर्ण करना पड़ेगा। सीमित संसाधनों के चलते ऐसा कर पाना लघु उद्यमियों के लिए संभव नहीं होगा।
2. विगत् में यह देखा गया है कि जहां–जहां राजकीय विभाग अपने स्तर पर सामग्री क्रय करने के लिए अधिकृत है वहां पर लघु उद्यमियों को टेन्डर प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए विभिन्न शर्तों जैसे न्यूनतम टर्न ओवर इत्यादि को लगा दिया जाता है। लघु उद्यमियों के लिए इस प्रकार की शर्तों को हटवाना संभव नहीं होता हैं जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ो लघु उद्योग इकाईयां प्रदेश में बंद हो चुकी है अथवा बंदी की कगार पर हैं।
3. सामग्री क्रय की प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करने से सरकारी धन का भी व्यय अधिक होगा क्योंकि प्रत्येक राजकीय विभाग को टेन्डर प्रसारित करने होंगे, प्राप्त टेन्डरों की जांच एवं सामग्री क्रय करने के निर्णय हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन जुटाने होंगे तथा सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञों को तैनात करना होगा इत्यादि। प्रत्येक राजकीय विभागों को सरकार के स्टोर परचेज रूल्स, वित्तीय नियमों तथा शासनादेशों के अनुसार सामग्री क्रय करने हेतु विशेषज्ञों की तैनाती भी करनी होगी।

उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने के लिए आपके पत्र में कहा गया है कि इस प्रणाली से राजकीय विभागों को आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कठिनाई अनुभव की गई है। आई0आई0ए0 का निवेदन है कि वर्तमान प्रणाली में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उद्योग निदेशालय द्वारा दर अनुबंधित सामग्री की स्पेसिफिकेशन दर अनुबंध डोकुमेन्ट में दर्ज होती है और उनके अनुसार सभी राजकीय विभागों को सामग्री क्रय करने से पूर्व क्वालिटी एवं स्पेसिफिकेशन चैक करने की स्वतंत्रता होती है। यदि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लघु उद्यमी सामग्री सप्लाई नहीं करता है तो राजकीय विभाग इस सामग्री को न लेने के लिए एवं उद्योग निदेशालय को शिकायत करने के लिए भी स्वतंत्र है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आई0आई0ए0 का आपसे अनुरोध है कि जनहित, प्रदेश के लघु उद्योगों के हित एवं सरकारी धन के व्यय को रोकने हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को यथावत जारी रखा जाए।

आशा है आप हमारे प्रस्ताव से सहमत होंगे और 31 मार्च 2011 के आदेश को निरस्त करने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद,
भवदीय,

अनिल गुप्ता
अध्यक्ष

संदर्भ सं0: 4/2Unnao/R-59/9368 23.06.2011

सेवा में, श्री वी0एन0 गर्ग आई0ए0एस0 औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	संदर्भ सं0: 4/2Unnao/R-59/9369 23.06.2011 श्री वीरेश कुमार, आई0ए0एस0 प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	संदर्भ सं0: 4/2Unnao/R-59/9370 23.06.2011 मो0 इफ्तेखारूद्दीन आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, जी0टी0 रोड, सर्वोदय नगर, कानपुर

विषयः– <u>उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने से लघु उद्योगों एवं सरकार को होने वाली हानि के कारण इसे निरस्त न करने के संबंध में</u>

महोदय,

प्रमुख सचिव लघु उद्योग उ0प्र0 सरकार के पत्र सं0– 352/18-2-2011-4(SP)/2010 दिनांक 31.3.2011 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स के अधीन उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

इस संबंध में आपसे निवेदन है कि इस प्रणाली को समाप्त करने से न केवल लघु उद्योगों की परेशानियां बढ़ेगी अपितु प्रदेश सरकार को भी हानी होगी। इन परेशानियों एवं हानियों का विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत हैः–

1. लद्यु उद्योगो को बढ़ावा देना शासन की नीति रही है, जिसके लिए शासन द्वारा विभिन्न सुविधाए देकर लद्यु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है। शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने से लद्यु उद्यमियों द्वारा सभी विभागों एवं कार्यालयों द्वारा आंमत्रित निविदाओं में सीमित संशाधनो के कारण भाग लिया जाना संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि विभागों/कार्यालयों द्वारा आमंत्रित निविदाओं में अलग–अलग सिक्योरिटी एवं अरनेस्ट मनी जमा करनी होगी साथ ही सभी निविदाओं में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य संबंधित व्यय भार पड़ेगा। लघु उद्यमी केवल सीमित क्षेत्र में ही बंध जायेगा, जिससे विपणन पर प्रतिपूर्ति प्रभाव पड़ेगा। उद्योग निदेशालय के माध्यम से होने वाले मात्रा अनुबंध के अंतर्गत लघु उद्यमियों को पूरे प्रदेश में आपूर्ति करने की सुविधा होती है तथा एक ही जगह अरनेस्ट मनी/सिक्योरिटी देनी पड़ती है। उद्योग निदेशालय के दर अनुबंध/मात्रा अनुबंध में प्रदेश के बाहर की इकाईयां भी भाग लेती है, जिससे प्रविष्ट प्रधात्मक दरें प्राप्त होती है। प्रदेशी इकाइयों को मूल्यवरीयता एवं क्रयवरीयता शासन द्वारा दी जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा स्वयं दर अनुबंध/मात्रा अनुबंध करने से उक्त सुविधाए उपलब्ध नहीं होगी। उद्योग निदेशालय द्वारा लगभग 150 आइटमों का दर अनुबंध किया जाता है, जिसमें लगभग 1500 प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की इकाइयां भाग लेती है जिसमें लगभग 90 प्रतिशत इकाइयां प्रदेशी है। उद्योग निदेशालय द्वारा दर अनुबंध/मात्रा अनुबंध की व्यवस्था समाप्त कर देने से उक्त प्रदेशी इकाइयों को विपणन में अत्यधिक कठिनाई होगी। इन फर्मो द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न टैक्स जमा न करने के कारण राज्य सरकार को वित्तीय हानि होगी।

2. टैण्डर प्रक्रिया के केन्द्रीयकृत होने में लघु उद्योगों को दर अनुबंध में सिक्योरिटी डिपॉजिट/अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करनी हाती है परंतु यदि टैण्डर प्रक्रिया विकेन्द्रीयकृत होती है तो लघु उद्योगों को 10 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है जिससे लघु उद्योगों पर अतिरिक्त भार पड़ता है क्योंकि लघु उद्योगों को होने वाला प्रॉफिट सिर्फ 3 से 5 प्रतिशत ही होता है।

3. केन्द्रीयकृत दर अनुबंध व्यवस्था टैण्डर आमंत्रित कर सुनिश्चित की जाती है, जिसमें विभिन्न आइटम न्यूनतम दरों पर उपलब्ध होते है। समस्त राजकीय विभाग दर अनुबंध के अंतर्गत एक ही दर पर सामग्री की आपूर्ति कर सकते है। केन्द्रीयकृत क्रय व्यवस्था के अंतर्गत समस्त राजकीय विभागों द्वारा टैण्डर आंमत्रित किए जाएंगे यह भी संभव है कि एक ही विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा एक की आइटम हेतु अलग–अलग निविदाए आमंत्रित की जाए आपूर्तिकर्ता इकाइयों द्वारा विपणन व्यवस्था हेतु एक ही आइटम हेतु विभिन्न विभागों/कार्यालयों में अलग–अलग निविदाए दिया जाना मजबूरी होगी। एक ही आइटम की क्रय व्यवस्था अलग–अलग विभागों द्वारा भिन्न–भिन्न दरो पर की जाएगी। यहां तक की एक ही विभाग के कार्यालयों द्वारा एक ही आइटम अलग–अलग दरों पर क्रय व्यवस्था की जाएगी जिससे गंभीर वित्तीय अनियमितताएं होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कोई अन्य पैमाना भी नहीं होगा। सामग्री क्रय नियमों की जानकारी न होने से भी वित्तीय अनियमितताएं होगी।

4. विगत् में यह देखा गया है कि जहां–जहां राजकीय विभाग अपने स्तर पर सामग्री क्रय करने के लिए अधिकृत है वहां पर लघु उद्यमियों को टेन्डर प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए विभिन्न शर्तों जैसे न्यूनतम टर्न ओवर इत्यादि को लगा दिया जाता है। लघु उद्यमियों के लिए इस प्रकार की शर्तों को हटवाना संभव नहीं होता हैं जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ो लघु उद्योग इकाईयां प्रदेश में बंद हो चुकी है अथवा बंदी की कगार पर हैं।

5. सामग्री क्रय की प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करने से सरकारी धन का भी व्यय अधिक होगा तथा समय भी अधिक लगेगा क्योंकि प्रत्येक राजकीय विभाग को टेन्डर प्रसारित करने होंगे, प्राप्त टेन्डरों की जांच एवं सामग्री क्रय करने के निर्णय हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन जुटाने होंगे तथा सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञों को तैनात करना होगा इत्यादि। प्रत्येक राजकीय विभागों को सरकार के स्टोर परचेज रूल्स, वित्तीय नियमों तथा शासनादेशों के अनुसार सामग्री क्रय करने हेतु विशेषज्ञों की तैनाती भी करनी होगी।

6. ऐसी आशंका है कि टैण्डर प्रक्रिया को विकेन्द्रीयकृत करने से बाहुबलियों का वर्चस्व हो जाएगा जैसा कि विगत में देखा गया है कि जिन जिन विभागों में विभाग द्वारा ही टैण्डर प्रक्रिया की जा रही है वहां बाहुबलियों के प्रभाव के कारण लघु उद्यमियों को टैण्डर प्रक्रिया में भाग लेने से दूर रखा जाता है।

उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने के लिए प्रमुख सचिव लघु उद्योग के पत्र में कहा गया है कि इस प्रणाली से राजकीय विभागों को आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कठिनाई अनुभव की गई है। आई0आई0ए0 का निवेदन है कि वर्तमान प्रणाली में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उद्योग निदेशालय द्वारा दर अनुबंधित सामग्री की स्पेसिफिकेशन दर अनुबंध डोकुमेन्ट में दर्ज होती है और उनके अनुसार सभी राजकीय विभागों को सामग्री क्रय करने से पूर्व क्वालिटी एवं स्पेसिफिकेशन चैक करने की स्वतंत्रता होती है। यदि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लघु उद्यमी सामग्री सप्लाई नहीं करता है तो राजकीय विभाग इस सामग्री को न लेने के लिए एवं उद्योग निदेशालय को शिकायत करने के लिए भी स्वतंत्र है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आई0आई0ए0 का आपसे अनुरोध है कि जनहित, प्रदेश के लघु उद्योगों के हित एवं सरकारी धन के व्यय को रोकने हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को यथावत जारी रखा जाए।

आशा है आप हमारे प्रस्ताव से सहमत होंगे और प्रमुख सचिव लघु उद्योग के 31 मार्च 2011 के आदेश को वापिस करवाने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद,

भवदीय,

मनीष गोयल

मनीष गोयल
उपाध्यक्ष
एवं
चेयरमैन ई0ए0सी0

संदर्भ संः 4/2Unnao/R-59/9376 04.07.2011

सेवा में,
श्री चन्द्रदेव राम यादव
माननीय मंत्री
लघु उद्योग,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ

विषयः– <u>उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने से लघु उद्योगों एवं सरकार को होने वाली हानि के कारण इसे निरस्त न करने के संबंध में</u>

महोदय,

प्रमुख सचिव लघु उद्योग उ0प्र0 सरकार के पत्र सं0– 352/18-2-2011-4(SP)/2010 दिनांक 31.3.2011 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स के अधीन उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।

इस संबंध में आपसे निवेदन है कि इस प्रणाली को समाप्त करने से न केवल लघु उद्योगों की परेशानियां बढ़ेगी अपितु प्रदेश सरकार को भी हानी होगी। इन परेशानियों एवं हानियों का विस्तृत ब्योरा निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत हैः–

1. लघु उद्योगो को बढ़ावा देना शासन की नीति रही है, जिसके लिए शासन द्वारा विभिन्न सुविधाए देकर लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है। शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने से लघु उद्यमियों द्वारा सभी विभागों एवं कार्यालयों द्वारा आंमत्रित निविदाओं में सीमित संशाधनो के कारण भाग लिया जाना संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि विभागों/कार्यालयों द्वारा आमंत्रित निविदाओं में अलग–अलग सिक्योरिटी एवं अरनेस्ट मनी जमा करनी होगी साथ ही सभी निविदाओं में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य संबंधित व्यय भार पड़ेगा। लघु उद्यमी केवल सीमित क्षेत्र में ही बंध जायेगा, जिससे विपणन पर प्रतिपूर्ति प्रभाव पड़ेगा। उद्योग निदेशालय के माध्यम से होने वाले मात्रा अनुबंध के अंतर्गत लघु उद्यमियों को पूरे प्रदेश में आपूर्ति करने की सुविधा होती है तथा एक ही जगह अरनेस्ट मनी/सिक्योरिटी देनी पड़ती है। उद्योग निदेशालय के दर अनुबंध/मात्रा अनुबंध में प्रदेश के बाहर की इकाईयां भी भाग लेती है, जिससे प्रविष्ट प्रधात्मक दरें प्राप्त होती है। प्रदेशी इकाइयों को मूल्यवरीयता एवं क्रयवरीयता शासन द्वारा दी जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा स्वयं दर अनुबंध/मात्रा अनुबंध करने से उक्त सुविधाए उपलब्ध नहीं होगी। उद्योग निदेशालय द्वारा लगभग 150 आइटमों का दर अनुबंध किया जाता है, जिसमें लगभग 1500 प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की इकाइयां भाग लेती है जिसमें लगभग 90 प्रतिशत इकाइयां प्रदेशी है। उद्योग निदेशालय द्वारा दर अनुबंध/मात्रा अनुबंध की व्यवस्था समाप्त कर देने से उक्त प्रदेशी इकाइयों को विपणन में अत्यधिक कठिनाई होगी। इन फर्मो द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न टैक्स जमा न करने के कारण राज्य सरकार को वित्तीय हानि होगी।

2. टैण्डर प्रक्रिया के केन्द्रीयकृत होने में लघु उद्योगों को दर अनुबंध में सिक्योरिटी डिपॉजिट/अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करनी हाती है परंतु यदि टैण्डर प्रक्रिया विकेन्द्रीयकृत होती है तो लघु उद्योगों को 10 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है जिससे लघु उद्योगों पर अतिरिक्त भार पड़ता है क्योंकि लघु उद्योगों को होने वाला प्रॉफिट सिर्फ 3 से 5 प्रतिशत ही होता है। लघु उद्योगों को एग्रीमेंट के लिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है जो कि 1.25 प्रतिशत है।

3. केन्द्रीयकृत दर अनुबंध व्यवस्था टैण्डर आमंत्रित कर सुनिश्चित की जाती है, जिसमें विभिन्न आइटम न्यूनतम दरों पर उपलब्ध होते है। समस्त राजकीय विभाग दर अनुबंध के अंतर्गत एक ही दर पर सामग्री की आपूर्ति कर सकते है। केन्द्रीयकृत क्रय व्यवस्था के अंतर्गत समस्त राजकीय विभागों द्वारा टैण्डर आंमत्रित किए जाएंगे यह भी संभव है कि एक ही विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा एक की आइटम हेतु अलग–अलग निविदाए आमंत्रित की जाए आपूर्तिकर्ता इकाइयों द्वारा विपणन व्यवस्था हेतु एक ही आइटम हेतु विभिन्न विभागों/कार्यालयों में अलग–अलग निविदाए दिया जाना मजबूरी होगी। एक ही आइटम की क्रय व्यवस्था अलग–अलग विभागों द्वारा भिन्न–भिन्न दरो पर की जाएगी। यहां तक की एक ही विभाग के कार्यालयों द्वारा एक ही आइटम अलग–अलग दरों पर क्रय व्यवस्था की जाएगी जिससे गंभीर वित्तीय अनियमितताएं होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कोई अन्य पैमाना भी नहीं होगा। सामग्री क्रय नियमों की जानकारी न होने से भी वित्तीय अनियमितताएं होगी।

4. विगत् में यह देखा गया है कि जहां–जहां राजकीय विभाग अपने स्तर पर सामग्री क्रय करने के लिए अधिकृत है वहां पर लघु उद्यमियों को टेन्डर प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए विभिन्न शर्तों जैसे न्यूनतम टर्न ओवर इत्यादि को लगा दिया जाता है। लघु उद्यमियों के लिए इस प्रकार की शर्तों को हटवाना संभव नहीं होता हैं जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ो लघु उद्योग इकाईयां प्रदेश में बंद हो चुकी है अथवा बंदी की कगार पर हैं।

5. सामग्री क्रय की प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करने से सरकारी धन का भी व्यय अधिक होगा तथा समय भी अधिक लगेगा क्योंकि प्रत्येक राजकीय विभाग को टेन्डर प्रसारित करने होंगे, प्राप्त टेन्डरों की जांच एवं सामग्री क्रय करने के निर्णय हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन जुटाने होंगे तथा सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेषज्ञों को तैनात करना होगा इत्यादि। प्रत्येक राजकीय विभागों को सरकार के स्टोर परचेज रूल्स, वित्तीय नियमों तथा शासनादेशों के अनुसार सामग्री क्रय करने हेतु विशेषज्ञों की तैनाती भी करनी होगी।

6. ऐसी आशंका है कि टैण्डर प्रक्रिया को विकेन्द्रीयकृत करने से बाहुबलियों का वर्चस्व हो जाएगा जैसा कि विगत में देखा गया है कि जिन जिन विभागों में विभाग द्वारा ही टैण्डर प्रक्रिया की जा रही है वहां बाहुबलियों के प्रभाव के कारण लघु उद्यमियों को टैण्डर प्रक्रिया में भाग लेने से दूर रखा जाता है।

उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने के लिए प्रमुख सचिव लघु उद्योग के पत्र में कहा गया है कि इस प्रणाली से राजकीय विभागों को आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कठिनाई अनुभव की गई है। आई0आई0ए0 का निवेदन है कि वर्तमान प्रणाली में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उद्योग निदेशालय द्वारा दर अनुबंधित सामग्री की स्पेसिफिकेशन दर अनुबंध डोकुमेन्ट में दर्ज होती है और उनके अनुसार सभी राजकीय विभागों को सामग्री क्रय करने से पूर्व क्वालिटी एवं स्पेसिफिकेशन चैक करने की स्वतंत्रता होती है। यदि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लघु उद्यमी सामग्री सप्लाई नहीं करता है तो राजकीय विभाग इस सामग्री को न लेने के लिए एवं उद्योग निदेशालय को शिकायत करने के लिए भी स्वतंत्र है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आई0आई0ए0 का आपसे अनुरोध है कि जनहित, प्रदेश के लघु उद्योगों के हित एवं सरकारी धन के व्यय को रोकने हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को यथावत जारी रखा जाए।

आशा है आप हमारे प्रस्ताव से सहमत होंगे और प्रमुख सचिव लघु उद्योग के 31 मार्च 2011 के आदेश को वापिस करवाने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद,

भवदीय,

मनीष गोयल

मनीष गोयल
महासचिव

A delegation of IIA met Minister SSI on 05/07/11.

संदर्भ सं0: 4/2Unnao/R-59/9381 06.07.2011

सेवा में,
श्री बी0एल0 जोशी
महामहिम राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

विषयः– <u>उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने से लघु उद्योगों एवं सरकार को होने वाली हानि के कारण इसे निरस्त न करने के संबंध में</u>

महोदय,

प्रमुख सचिव लघु उद्योग उ0प्र0 सरकार के पत्र सं0– 352/18-2-2011-4(SP)/2010 दिनांक 31.3.2011 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स के अधीन उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। पत्र की प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

ज्ञात हुआ है कि प्रमुख सचिव लघु उद्योग के उपरोक्त पत्र के संबंध में शासनादेश निर्गत होने वाला है, अगर यह शासनादेश निर्गत होता है तो न केवल लघु उद्योगों की परेशानियां बढ़ेगी अपितु प्रदेश सरकार के राजस्व में भी हानि होगी। उद्योग निदेशालय द्वारा लगभग 150 आइटमों का दर अनुबंध किया जाता है, जिसमें प्रदेश की लगभग 1500 से ज्यादा इकाईयां भाग लेती है। उद्योग निदेशालय द्वारा दर अनुबंध/मात्रा अनुबंध की व्यवस्था समाप्त कर देने से उक्त प्रदेशी इकाईयों को विपणन में अत्यधिक कठिनाई होगी तथा राज्य सरकार को विभिन्न टैक्स न मिलने के कारण वित्तीय हानि होगी।

विगत में यह भी देखा गया है कि जहां–जहां राजकीय विभाग अपने स्तर पर सामग्री क्रय करने के लिए अधिकृत है वहां पर लघु उद्यमियों को टेण्डर प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए विभिन्न शर्तों जैसे न्यूनतम टर्न ओवर इत्यादि को लगा दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप लघु उद्योग टेण्डर प्रक्रिया में भाग ही नहीं ले पाते।

ऐसी भी आशंका है कि यदि टेण्डर प्रक्रिया को विकेन्द्रीयकृत किया जाता है तो प्रक्रिया में बाहुबलियों का वर्चस्व हो जाएगा जैसा कि विगत में देखा गया है कि जिन–जिन विभागों में विभाग अपने स्तर से ही टेण्डर प्रसारित करते है वहां बाहुबलियों के प्रभाव के कारण लघु उद्यमियों को टेण्डर प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाता है।

उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने के लिए प्रमुख सचिव लघु उद्योग के पत्र में कहा गया है कि इस प्रणाली से राजकीय विभागों को आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कठिनाई अनुभव की गई है। आई0आई0ए0 का निवेदन है कि वर्तमान प्रणाली में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उद्योग निदेशालय द्वारा दर अनुबंधित सामग्री की स्पेसिफिकेशन दर अनुबंध डोकुमेन्ट में दर्ज होती है और उनके अनुसार सभी राजकीय विभागों को सामग्री क्रय करने से पूर्व क्वालिटी एवं स्पेसिफिकेशन चैक करने की स्वतंत्रता होती है। यदि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लघु उद्यमी सामग्री सप्लाई नहीं करता है तो राजकीय विभाग इस सामग्री को न लेने के लिए एवं उद्योग निदेशालय को शिकायत करने के लिए भी स्वतंत्र है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आई0आई0ए0 का आपसे अनुरोध है कि जनहित, प्रदेश के लघु उद्योगों के हित एवं सरकारी धन के व्यय को रोकने हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को यथावत जारी रखा जाए तथा प्रमुख सचिव लघु उद्योग के पत्र 352/18-2-2011-4(SP)/2010 दिनांक 31.3.2011 के आदेश को वापिस करवाने की कृपा करेंगे।

इस संबंध में आई0आई0ए0 का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे भेंटवार्ता करने का अभिलाषी है। कृपया सुविधानुसार तिथि तथा समय प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

मनीष गोयल

मनीष गोयल
महासचिव

संदर्भ संः 4/2Unnao/R-59/9382 07.07.2011

सेवा में,
प्रमुख सचिव
महामहिम राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ

विषयः– <u>उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने से लघु उद्योगों एवं सरकार को होने वाली हानि के कारण इसे निरस्त न करने के संबंध में</u>

महोदय,

प्रमुख सचिव लघु उद्योग उ0प्र0 सरकार के पत्र सं0– 352/18-2-2011-4(SP)/2010 दिनांक 31.3.2011 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स के अधीन उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न)

प्रमुख सचिव लघु उद्योग उ0प्र0 सरकार के उपरोक्त पत्र के संबंध में शासनादेश निर्गत न किए जाने के लिए आई0आई0ए0 द्वारा एक पत्र संख्या 4/2Unnao/R-59/9381 dt. 06.07.2011 महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखा गया है तथा महामहिम से भेंटवार्ता हेतु समय प्रदान करने का आग्रह किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न)

आई0आई0ए0 का एक प्रतिनिधिमंडल उपरोक्त विषय पर महामहिम राज्यपाल से मिलने से पहले आपसे विचार विमर्श करने हेतु मिलने का इच्छुक है।

कृपया सुविधानुसार समय तथा तिथि प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

मनीष गोयल

मनीष गोयल
महासचिव

संदर्भ सं0: 4/2Unnao/R-59/9385 07.07.2011

सेवा में,
श्री दुर्गाशंकर मिश्रा
प्रमुखसचिव
माननीया मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

विषयः– <u>उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने से लघु उद्योगों एवं सरकार को होने वाली हानि के कारण इसे निरस्त न करने के संबंध में</u>

महोदय,

प्रमुख सचिव लघु उद्योग उ0प्र0 सरकार के पत्र सं0– 352/18-2-2011-4(SP)/2010 दिनांक 31.3.2011 के माध्यम से उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स के अधीन उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। पत्र की प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

ज्ञात हुआ है कि प्रमुख सचिव लघु उद्योग के उपरोक्त पत्र के संबंध में शासनादेश निर्गत होने वाला है, अगर यह शासनादेश निर्गत होता है तो न केवल लघु उद्योगों की परेशानियां बढ़ेगी अपितु प्रदेश सरकार के राजस्व में भी हानि होगी। उद्योग निदेशालय द्वारा लगभग 150 आइटमों का दर अनुबंध किया जाता है, जिसमें प्रदेश की लगभग 1500 से ज्यादा इकाईयां भाग लेती है। उद्योग निदेशालय द्वारा दर अनुबंध/मात्रा अनुबंध की व्यवस्था समाप्त कर देने से उक्त प्रदेशी इकाईयों को विपणन में अत्यधिक कठिनाई होगी तथा राज्य सरकार को विभिन्न टैक्स न मिलने के कारण वित्तीय हानि होगी।

विगत में यह भी देखा गया है कि जहां–जहां राजकीय विभाग अपने स्तर पर सामग्री क्रय करने के लिए अधिकृत है वहां पर लघु उद्यमियों को टेण्डर प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए विभिन्न शर्तों जैसे न्यूनतम टर्न ओवर इत्यादि को लगा दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप लघु उद्योग टेण्डर प्रक्रिया में भाग ही नहीं ले पाते।

ऐसी भी आशंका है कि यदि टेण्डर प्रक्रिया को विकेन्द्रीयकृत किया जाता है तो प्रक्रिया में बाहुबलियों का वर्चस्व हो जाएगा जैसा कि विगत में देखा गया है कि जिन–जिन विभागों में विभाग अपने स्तर से ही टेण्डर प्रसारित करते है वहां बाहुबलियों के प्रभाव के कारण लघु उद्यमियों को टेण्डर प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाता है।

उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने के लिए प्रमुख सचिव लघु उद्योग के पत्र में कहा गया है कि इस प्रणाली से राजकीय विभागों को आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कठिनाई अनुभव की गई है। आई0आई0ए0 का निवेदन है कि वर्तमान प्रणाली में गुणवत्ता सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उद्योग निदेशालय द्वारा दर अनुबंधित सामग्री की स्पेसिफिकेशन दर अनुबंध डोकुमेन्ट में दर्ज होती है और उनके अनुसार सभी राजकीय विभागों को सामग्री क्रय करने से पूर्व क्वालिटी एवं स्पेसिफिकेशन चैक करने की स्वतंत्रता होती है। यदि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लघु उद्यमी सामग्री सप्लाई नहीं करता है तो राजकीय विभाग इस सामग्री को न लेने के लिए एवं उद्योग निदेशालय को शिकायत करने के लिए भी स्वतंत्र है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आई0आई0ए0 का आपसे अनुरोध है कि जनहित, प्रदेश के लघु उद्योगों के हित एवं सरकारी धन के व्यय को रोकने हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबंध प्रणाली को यथावत जारी रखा जाए तथा प्रमुख सचिव लघु उद्योग के पत्र 352/18-2-2011-4(SP)/2010 दिनांक 31.3.2011 के आदेश को वापिस करवाने की कृपा करें।

इस संबंध में आई0आई0ए0 का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे भेंटवार्ता करने का अभिलाषी है। कृपया सुविधानुसार तिथि तथा समय प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

मनीष गोयल

मनीष गोयल
म्हासचिव

Efforts made so far:-

1- On 26/05/11 a delegation of IIA met Principal Secretary, SSI to apprise him about the matter. He listened the demerits put by IIA, of decentralizing the DI rate contract system for MSMEs and agreed upon to have a thought for it.
2- On 10/06/11 a delegation of IIA met IDC to apprise him about the matter. IDC listened the points put by IIA and asked IIA to make a strong representation with some facts.
3- Affected industrialists had a meeting, chaired by President IIA in IIA Bhawan on 18/06/11to put in their views and suggestions to make a strong representation.
4- In continuation of the meeting with IDC, IIA made another representation on 23/06/11 to IDC, DI and PS, SSI incorporating facts, merits of centralized purchase system and demerits of decentralizing DI rate contract system.
5- A delegation of IIA met Minister of SSI on 05/07/11 and apprised him about the problems which can be faced by SSIs if DI rate contract system be decentralized. Minister was agreeing with the facts put by IIA and assured to get the order of decentralizing DI rate Contract system cancel from the Cabinet.